



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241311
CG-DL-E-22122022-241311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798]
No. 798]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSA 1, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 894(अ).—माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 44 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि पारस्परिक प्रावधान किए गए हैं, एतद्वारा कुवैत राज्य को ऐसा क्षेत्र घोषित करती है जिस पर उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्धारित विदेशी पंचाट निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन संबंधी कन्वेंशन लागू होता है।

[फा. सं. जे-15013/47/2016-न्यायिक]

वी.के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 894(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 44 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government, on being satisfied that reciprocal provisions have been made, hereby declares the State of Kuwait to be a territory to which the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards set forth in the First Schedule to the said Act, applies.

[F. No.J-15013/47/2016- Judicial]

V. K. SHARMA, Jt. Secy. and Legal Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 895(अ).—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 29 के खंड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त धारा के प्रावधान कुवैत राज्य में सभी सिविल न्यायालयों पर लागू होंगे।

[फा. सं. जे-15013/47/2016-न्यायिक]

वी.के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 895(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 29 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby declares that the provisions of the said section shall apply to all Civil Courts in the State of Kuwait.

[F. No.J-15013/47/2016- Judicial]

V. K. SHARMA Jt. Secy. and Legal Adviser